

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024—माघ 23, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ जीएडी/15/0002/2023—जीएडी—एक—01 (जीएडी).— सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, एतद्वारा, यह अधिसूचित करता है, कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के लिए, एक बार पंजीकरण (वनटाईम रजिस्ट्रेशन) हेतु उम्मीदवारों के प्रमाणीकरण के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, हां/नहीं या/और ई—केवायसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए, आधार प्रमाणीकरण के निष्पादन हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ जीएडी/15/0002/2023—जीएडी—एक—01 (जीएडी).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ जीएडी/15/0002/2023—जीएडी—एक—01 (जीएडी), दिनांक 12 फरवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, Dated 12th February 2024

No. F GAD/15/0002/2023-GAD-One-01(GAD).— In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section (4) of the Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation , Knowledge) Rules, 2020, the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, hereby, notifies that the Madhya Pradesh Public Service Commission is allowed to perform Aadhar authentication, on voluntary basis, for authentication of candidates for one-time registration for various examinations conducted by the Madhya Pradesh Public Service Commission, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RANJNA PATNE, Dy. Secy.